बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
(राज्य स्तरीय कार्यालय)
शिक्षा भवन, सैदपुर, राजेन्द्र नगर
पटना 800004

Bihar Education Project Council
(State Level Office)

पत्रांक : VE/SSC/13/2023-24 4578   दिनांक 06/12/24

सेवा में,

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
पटना।

विषय: शैक्षणिक सत्र 2024–25 में राज्य के चिन्हित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा IX एवं X तथा XI एवं XII में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में।

प्रसंग: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पत्रांक– BSEB/SS/ACD/DS-334/2024 दिनांक–30.11.2024 एवं परिषद् कार्यालय पत्रांक– VE/2433 दिनांक–28.05.2020, पत्रांक– VE/7404 दिनांक–01.12.2022।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा IX एवं X तथा XI एवं XII में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा परिषद कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निम्न प्रकार से किया जायगा–

SL.No.	Method of Assessment	Weightage(Max.Marks)	Evaluator
1	Written Test	30 - Minimum Qualifying Marks 10.	Examiner
2	Practical Test & Oral Test /Viva	50 - Minimum Qualifying Marks 17.	Assessor from Sector Skill council
3	CCE	20 - This will be included only if the student qualified individualy in theory practical	Vocational Subject Teacher
	Total	100	

अतएव उपरोक्त के आलोक में व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत परीक्षा का संचालन किया जा सकता है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Ssingh
06.12.24
(रंजन सिंह)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

पत्रांक : 09 / व्या0शि0–22 / 2011......258

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

मनोज कुमार (भा0प्र0से0)
विशेष सचिव–सह–निदेशक, (मा0 शि0)।

सेवा में,

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक 04/05/2022

विषय : व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत 9वीं एवं 10वीं कक्षा में ऐच्छिक एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेन्ट एवं ऑटो मोबाईल ट्रेड को शामिल करने के संबंध में।

प्रसंग : समिति का पत्रांक–BSEB/SS/ACD/DS-89 दिनांक 02.04.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय सहमति निम्नवत् दी जाती है :–

1. प्रासंगिक पत्र की कंडिका–3 (i) पर इस शर्त के साथ विभागीय सहमति दी जाती है कि व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा में विद्यार्थी को शामिल होना अनिवार्य होगा।
2. प्रासंगिक पत्र की कंडिका–3 (ii) यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक
माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09 / व्या0शि0–22 / 2011......258

पटना, दिनांक 04/05/2022

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना / परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्याल परीक्षा समिति, पटना / परीक्षा नियंत्रक (उच्च मा0), बिहार विद्याल परीक्षा समिति, पटना / माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक
माध्यमिक शिक्षा।

04 MAY 2022

386/SC/2022
05/05/2022

1394/DA
5/5/22

D.Sec/09:727

177

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना।

Email -directoracademic.bsebpatna@gmail.com

पत्रांक–BSEB/SS/ACD/DS- 89 दिनांक– 02/04/22

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक– 02/04/22

विषय–व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत 9वीं एवं 10वीं कक्षा में ऐच्छिक एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में सुरक्षा, ब्यूटीशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेन्ट एवं ऑटो मोबाईल ट्रेड को शामिल करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक– 26.03.2022 को आयोजित समिति की बैठक के विषय संख्या–26 में अंकित व्यावसायिक शिक्षा (सुरक्षा, ब्यूटीशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेन्ट एवं ऑटो मोबाईल ट्रेड) शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित विधालयों/+2 विधालयों के अन्तर्गत 9वीं एवं 10वीं कक्षा में ऐच्छिक एवं 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में शैक्षणिक सत्र 2022–24 से शामिल करने एवं तदालोक में परीक्षा हेतु वांछित प्रस्ताव पर विचार किया गया।

2. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0– 09/व्या0शि0–22/2011/ 584, दिनांक– 21.07.2017 के द्वारा राज्य के 38 जिलों में प्रत्येक जिला के एक चिन्हित विद्यालयों के नाम के सामने अंकित दो ट्रेडों का अध्यापन कार्य किया जाना है। इन विद्यालयों के लिए कर्णांकित दो ट्रेड में से कोई एक का चयन 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्र/छात्राओं के द्वारा ऐच्छिक विषय के रूप में किया जायेगा।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0– 09/व्या0शि0–22/2011/ 767, दिनांक– 14.11.2019 के द्वारा राज्य के 38 जिलों में प्रत्येक जिला के एक चिन्हित +2 विद्यालयों के नाम के सामने अंकित दो ट्रेडों का अध्यापन कार्य किया जाना है। इन चिन्हित +2 विद्यालयों के सभी संकाय (विज्ञान कला एवं वाणिज्य) के छात्र कर्णांकित दो ट्रेडों में से कोई एक का चयन 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र/छात्राओं के द्वारा अनिवार्य विषय के रूप में किया जायेगा।

3. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित उक्त अध्यापन कार्य को समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–24 से लागू करने का निर्णय लिया गया है, तदालोक में होने वाली परीक्षा का आयोजन मैट्रिक एवं इण्टर [illegible] किया जायेगा–

(i) माध्यमिक:– चयनित विद्यालय (कुल 38) में जिन छात्र/ छात्राओं (IX 25+X 25 =50 कुल सीट) द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जा रहे दो ट्रेड में से एक ट्रेड का चयन करेगें, उन छात्र/छात्राओं को उक्त ऐच्छिक विषय की परीक्षा में शामिल होना बाध्यकारी होगा एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। साथ ही इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण में नहीं की जायेगी। विद्यालय के अन्य छात्र/छात्राओं हेतु Marking Pattern पूर्ववत रहेगा। अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा–

(1)अनिवार्य	कुल अंक	अभियुक्ति
1.मातृभाषा	100	
2. द्वितीय भाषा	100	
3. गणित	100	
4. विज्ञान	100	
5. सामाजिक विज्ञान	100	
	कुल 500	
(II)अंग्रेजी सामान्य	100	शामिल होना अनिवार्य , पास होना नहीं, कुल अंक में गणना नहीं
(III) a. ऐच्छिक (कुल 11 विषय में एक का चयन) b. 5 ऐच्छिक व्यावसायिक ट्रेड (चयनित विद्यालय में छात्र/ छात्रा द्वारा दो ट्रेड में से एक ट्रेड का चयन)	100 सैधांतिक 30+50 प्रायोगिक+20 CCE	a. शामिल होना अनिवार्य नहीं न ही कुल अंक में गणना भी नहीं b. चयनित विद्यालय (कुल 38) में जिन छात्र/ छात्राओं(IX 25+X 25 =50 कुल सीट) द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जा रहे दो ट्रेड में से एक ट्रेड का चयन करेगें, उन छात्र/छात्राओं को उक्त ऐच्छिक विषय की परीक्षा में शामिल होना बाध्यकारी होगा एवं उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण में नहीं की जायेगी। विद्यालय के अन्य छात्र/छात्राओं हेतु पैटर्न पूर्ववत रहेगा।

Process of Assessment and certification for selected trade

Sl. No.	Method of Assessment	Weightage (Max Marks)	Evaluator
1.	Written Test	30-Minimum qualifiying marks 10	Examiner
2.	Pratical Test & Oral Test/Viva	50-Minimum qualifiying marks 17	Assessor from Sector Skills Council
3.	CCE	20- This will be included only if the sutdent qualifies, individually in Theory & Pratical	Vocational subject Teacher
	Total	100	

(ii). उच्चतर इन्टरमीडिएट:— जिन +2 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेडों का समावेशन कि गया है उसके इन्टरमीडिएट के सभी संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) के कक्षा 11वीं एवं 12 कक्षा में अधिकतम (XI 25+XII 25 =50 कुल सीट) छात्र/छात्राओं के द्वारा विद्यालय के लिए कर्णांकि व्यावसायिक दो ट्रेडों में से कोई एक ट्रेड का चयन अनिवार्य रूप में किया जायेगा। अनिवार्य रूप चयन किये गये ट्रेड की परीक्षा में छात्र/छात्राओं को उत्तीर्ण होना बाध्यकारी है परंतु श्रेणी निर्धार में अंक नहीं जोड़ा जायेगा। व्यावसायिक विषय/ट्रेड का अंक निर्धारण निम्नवत रहेगा—

कला/विज्ञान/वाणिज्य/	कुल अंक	अभियुक्ति
6 अनिवार्य व्यावसायिक ट्रेड (चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय(+2) में छात्र/ छात्रा द्वारा दो ट्रेड में से एक ट्रेड का चयन	100 सैधांतिक 30+50 प्रायोगिक+20 CCE)	चयनित विद्यालय (कुल 38) में जिन छात्र छात्राओं (XI 25+XII 25 =50 कु सीट) द्वारा विद्यालय के समक्ष दो कर्णांकित ट्रे में से एक ट्रेड जो चयन करेंगे उनके लिए शामि एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ;लेकिन श्रेण निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी तथापि अंकपत्र पर प्राप्तांक अंकित रहेगा विद्यालय के अन्य छात्र/छात्राओं हेतु पैटन पूर्ववत रहेगा।

Process of Assessment and certification for selected trade

Sl. no.	Method of Assessment	Weightage (Max Marks)	Evaluator
1.	Written Test	30-Minimum qualifiying marks 10	Examiner
2.	Pratical Test & Oral Test/Viva	50-Minimum qualifiying marks 17	Assessor from Sector Skills Council
3.	CCE	20- This will be included only if the sutdent qualifies, individually in Theory & Pratical	Vocational subject Teacher
	Total	100	

कंडिका 3(i) & (ii) पर वर्णित उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड की सहमति प्राप्त है।

4. उक्त ट्रेडों में छात्र/छात्राओं का कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नामांकन O.F.S.S. के माध्यम से करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

कंडिका 3(i) & (ii) समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर विभागीय अनुमोदन प्रार्थित है।

विश्वासभाजन

1/4/22

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

अधिसूचना

संचिका संख्या : 09/व्या0 शि0–22/2011 ..../ व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर शुरूआत (Introduce) करने का उद्देश्य छात्र–छात्राओं का कौशल संवर्द्धन एवं दक्षता का विकास कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाना एवं विभिन्न आर्थिक एवं उत्पादक गतिविधियों/क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित और कौशलयुक्त कर्मी उपलब्ध कराना है। इसको लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा NVEQF (National Vocational Education Quality Framework) के अन्तर्गत राज्य के चिन्हित 38 जिला के प्रत्येक जिला के एक–एक विद्यालयों में आवंटित ट्रेडों क्रमशः सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टुरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट एवं ऑटोमोबाईल का अध्यापन ऐच्छिक विषय के रूप में कक्षा–9 एवं कक्षा–10 में प्रारंभ करने की स्वीकृति अधिसूचना संख्या 584 दिनांक 21.12.2017 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त विद्यालय में आवंटित ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अनिवार्य विषय के रूप में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/व्या0 शि0–22/2011......767 पटना, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (RMSA)/सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

अधिसूचना

संचिका संख्या : 09 / व्या0 शि0–22 / 2011 ..../ व्यावसायिक ... माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर शुरूआत (Introduce) करने का उद्देश्य ... का कौशल संवर्द्धन एवं दक्षता का विकास कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाना एवं विभिन्न ... उत्पादक गतिविधियों / क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित और कौशलयुक्त कर्मी उपलब्ध कराना ... लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया ... मार्गदर्शिका के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विभाग द्वारा NVEQF (National Vo... Education Quality Framework) के अन्तर्गत राज्य के चिन्हित निम्न विद्यालयों में उनके ... सामने अंकित ट्रेडों के अनुसार सुरक्षा, ब्यूटिशियन, टुरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट एवं ऑटोमोबाइल ... का अध्यापन ऐच्छिक विषय के रूप में कक्षा–9 एवं कक्षा–10 में प्रारंभ करने की स्वीकृति ... की गयी है :–

क्र0	जिला का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय में आवंटित ट्र...
1	पटना	कमला नेहरू +2 विद्यालय, यारपुर, पटना	ब्यूटीशियन एवं रिटेल मैनेज...
2	नालन्दा	उ0 वि0 बेनार, नालन्दा	रिटेल मैनेजमेंट एवं सुरक्षा
3	भोजपुर	स्वामी सूर्यनाथ उ0 वि0, सरैया, भोजपुर	ऑटोमोबाईल एवं सुरक्षा
4	बक्सर	राज उ0 वि0, डुमराँव, बक्सर	ऑटोमोबाईल एवं सुरक्षा
5	कैमूर	+2 उ0 वि0, भभुआ, कैमूर	ऑटोमोबाईल एवं सुरक्षा
6	रोहतास	उ0 वि0 शिवसागर, रोहतास	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
7	गया	रामरूचि कन्या उ0 वि0, गया	टुरिज्म एवं ब्यूटीशियन
8	औरंगाबाद	राज जनक उ0 वि0, देव, औरंगाबाद	ऑटोमोबाईल एवं सुरक्षा
9	जहानाबाद	उ0 वि0 दयालबाग, नेहालपुर, जहानाबाद	ऑटोमोबाईल एवं सुरक्षा
10	अरवल	बालिका उ0 वि0, अरवल	ब्यूटीशियन एवं रिटेल मैनेज...
11	नवादा	नेशन इन्टर स्कूल, माफी, नवादा	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
12	मुजफ्फरपुर	डी0एन0 उ0 वि0, मुजफ्फरपुर	रिटेल मैनेजमेंट एवं ऑटोमोबाई...
13	वैशाली	बालिका उ0 वि0, हाजीपुर	ब्यूटीशियन एवं रिटेल मैनेज...
14	पू0 चम्पारण	एस0 उ0 मा0 वि0, अरेराज, पू0 चम्पारण	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
15	प0 चम्पारण	मोतीलाल उ0 वि0, मझौलिया, प0 चम्पारण	रिटेल मैनेजमेंट एवं ऑटोमो...
16	सीतामढ़ी	एस0एल0के0 उ0 वि0, सीतामढ़ी	रिटेल मैनेजमेंट एवं ऑटोमो...
17	शिवहर	रामखेलावन जंगी उ0 वि0, कुशार, शिवहर	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
18	दरभंगा	एम0 जे0 के0 उ0 वि0, हायाघाट, दरभंगा	रिटेल मैनेजमेंट एवं सुरक्षा
19	मधुबनी	उ0 वि0 पंडौल, मधुबनी	ऑटोमोबाईल एवं रिटेल मैने...
20	समस्तीपुर	इन्टर उ0 वि0, ताजपुर, समस्तीपुर	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
21	सारण	उ0 वि0 काजीपुर, छपरा	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
22	सिवान	उ0 वि0 सिहौता, बंगरा, सिवान	रिटेल मैनेजमेंट एवं ऑटोमो...
23	गोपालगंज	रामरतन शाही उ0वि0, विशुनपुर, यादवपुर, गोपालगंज	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
24	सहरसा	मनोहर उच्च विद्यालय, सहरसा	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
25	सुपौल	उ0 वि0 गौरवगढ़, सुपौल	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाईल
26	मधेपुरा	केशव कन्या उ0 वि0, मधेपुरा	ब्यूटीशियन एवं सुरक्षा
27	पूर्णियाँ	ए0 शाह उ0 वि0, बेलौरी, पूर्णियाँ	रिटेल मैनेजमेंट एवं ऑ...

E:\Sec.Edu\Office Order-II.49

28	कटिहार	जागेश्वर उ0 वि0 गुरुबाजार, कटिहार	रिटेल मैनेजमेंट एवं आ[illegible]
29	अररिया	उ0 वि0, अररिया	रिटेल मैनेजमेंट एवं ऑटो[illegible]
30	किशनगंज	कन्या उ0 वि0, किशनगंज	ब्यूटीशियन एवं रिटेल [illegible]
31	भागलपुर	कन्या उ0 वि0 नाथनगर, भागलपुर	ब्यूटीशियन एवं रिटेल [illegible]
32	बांका	एस0एन0एस0 उ0 वि0, मोहनपुर, बांका	ऑटोमोबाइल एवं सुरक्षा
33	मुंगेर	जिला स्कूल, मुंगेर	ऑटोमोबाइल एवं रिटेल [illegible]
34	बेगूसराय	आर0जे0के0 +2 विद्यालय, बेगूसराय	ऑटोमोबाइल एवं सुरक्षा
35	लखीसराय	के0 आर0 के0 उ0 वि0, लखीसराय	ऑटोमोबाइल एवं सुरक्षा
36	खगड़िया	राज उ0 वि0, गोगरी, खगड़िया	ऑटोमोबाइल एवं सुरक्षा
37	जमुई	उ0 वि0, गिद्धौर, जमुई	ऑटोमोबाइल एवं सुरक्षा
38	शेखपुरा	डी0 एम0 उ0 वि0, शेखपुरा	सुरक्षा एवं ऑटोमोबाइल

2. शैक्षणिक सत्र 2018–19 से स्तर–1 के पाठ्यचर्या की शुरूआत सिर्फ कक्षा–9 में [illegible] इसकी पाठ्यचर्या PSSCIVE भोपाल द्वारा तैयार पाठ्यचर्या के अनुरूप होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक [illegible]

ज्ञापांक : 09/व्या0 शि0–22/2011 584
प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा [illegible] पटना/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना/सभी जिला [illegible] पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी जिला कार्यक्रम [illegible] (RMSA)/सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] प्रेषित।

(ii) सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने जिला [illegible] विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से पठन–पाठन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक [illegible] जाय।

उप सचिव

पटना, दिनांक [illegible]

ज्ञापांक : 09/व्या0 शि0–22/2011 584
प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] प्रेषित।

उप सचिव

पटना, दिनांक [illegible]

ज्ञापांक : 09/व्या0 शि0–22/2011 584
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा [illegible] प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक [illegible] माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा [illegible] पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी उप निदेशक [illegible] शिक्षा/प्रभारी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] प्रेषित।

उप सचिव